

७/१२/२३

पञ्जाबी पेशा हूई उखापक्ष के तकील
 उपस्थित। तकील कपीलारं द्वारा फस्तुल
 पार्थीन फरा इन्कारि हारा 152, 153 CPC
 स्वीकार किया जात ही पार्थीन फरा से
 संबन्धित कुल कपील-पुकरण सं: 15/23
 अउवान दिवीप कुमार बबाम बल्लोपिठा का
 बे पारित निर्णय दिनांक 4/11/22 के
 कोफेरेटिव पेशीन बे ग्राम कराना के
 कराना पर लाल ब्याही से गोर
 कफिल कर ग्राम करानी किया जाये।
 पञ्जाबी फसल कुमार होकर गंवर से
 कम ले बाद तामील कुल कपील
 के साथ संबन्धित रहे। बिदिया सुनाया
 तकील सम्पा. के आपारि बरि की।

जिला कलक्टर
 बारा (राज०)



न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2021

बउनवान

दिलीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर आयु 21 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी तहसील बारां
जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

1. रतन विद्या आयु 40 वर्ष पुत्री श्री रामकरण पत्नि श्री रामावतार जाति मीणा निवासी
ग्राम सीमलिया, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. मुकलेश आयु 35 वर्ष पुत्री श्री रामकरण पत्नि श्री पुष्पचन्द जाति मीणा निवासी
मेलखेडी तहसील व जिला बारां (राज०)
3. ममता आयु 19 वर्ष पुत्री श्री रामकरण, जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व
जिला बारां (राज०)
4. बद्री बाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व
जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज.) (रिस्पोंडेन्ट्स)



अपील विरुद्ध इंतकाल नं. 580 ग्राम बराना दिनांक 13.08.2021

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

- उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (रिस्पों.कम 1 ता 4)

निर्णय दिनांक 04.11.2022

अपीलांट की ओर से जयें अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां के खाते की आराजी खाता संख्या 123 खसरा नंबर 245 रकबा 0.22 है., खसरा नंबर 307 रकबा 0.30 है., खसरा नंबर 318 रकबा 0.03 है., खसरा नंबर 319 रकबा 0.01 है., खसरा नंबर 380 रकबा 0.17 है., खसरा नंबर 418 रकबा 0.22 है., खसरा नंबर 423 रकबा 0.16 है., खसरा नंबर 426 रकबा 0.55 है., खसरा नंबर 48 रकबा 2.02 है., खसरा नंबर 49 रकबा 2.26 है., खसरा नंबर 675/364 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 79 रकबा 1.91 है., खसरा नंबर 80 रकबा 1.54 है., खसरा नंबर 86 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 88 रकबा 1.21 है., खसरा नंबर 92 रकबा 3.24 है., कुल किता 16 कुल रकबा 14.00 है. ग्राम बरानी खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा की मृत्यु हो जाने कारण अपीलान्ट ने बहैसियत गोद पुत्र एवं वसीयत उत्तराधिकारी दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार बारां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कोरोना काल में दिनांक 05.05.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां की हुई है। अपीलान्ट व रिस्पोंडेन्ट्स मीणा जाति से है। रिस्पोंडेन्ट्स कम 1 ता 3 मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नहीं होती है। जिसके तहत शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपील दर्ज

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

होने के पश्चात नोटिस व आदेश 41 नियम 5 का प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय की आदेशिका पेश करने के उपरान्त भी तहसीलदार बारां द्वारा उक्त नामांतरण नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 को स्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार बारां का मूल आदेश दिनांक 05.05.2021 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां सबज्यूडिश होते हुए भी उक्त नामांतरण को स्वीकार किया गया। जो नियम विरुद्ध है। सम्पत्ति अन्तकरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार कोई मामला अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा सकती। उक्त प्रावधान के कारण नामांतरण नंबर 580 पर जारी आदेश मौजूदा कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फरमावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टगण जर्ज अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा की मृत्यु हो जाने पर अपीलांत द्वारा बहसियत गोद पुत्र एवं वसीयती उत्तराधिकारी उक्त भूमि का नामांतरण अपीलांत के नाम करने की प्रार्थना तहसीलदार बारां के यहां की गई। तहसीलदार बारां द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 05.05.2021 पारित कर दिया गया। अपीलांत व रेस्पोंडेन्टस मीणा जाति से है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नहीं होती है। अपीलांत द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2021 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के यहां प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2021 को आदेश दिनांक 09.11.2021 से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड कर दिया। दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामांतरण खोला जाकर निर्णय दिनांक 05.05.2021 अनुसार दर्ज कर तस्दीक कर दिया। अपीलांत व रेस्पोंडेन्टस मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नहीं होती है। मीणा जाति में शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलांत द्वारा गोदपुत्र एवं वसीयती उत्तराधिकारी होने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में घोषणा का वाद प्रकरण संख्या 142/2021 पेश कर रखा है जो जैरकार है। नामांतरण समरी ट्रायल एवं फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके आधार पर राईट्स तय नहीं किये जा सकते, पक्षकारान के अधिकार मूल वाद में तय होंगे। तब तक विधिक दृष्टांत अपीलाधीन नामांतरण का अस्तित्व नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांत ने आरआरडी 2014 पृष्ठ सं. 213 बउनवान कल्याण व अन्य बनाम नानगा व अन्य, आरआरडी 2002 पृष्ठ सं. 31 बउनवान श्री बाई बनाम पान बाई व अन्य, आरआरडी 2009 पृष्ठ सं. 303 श्रीमति पार्वतीदेवी व अन्य बनाम श्रीमति गुल्लीदेवी व अन्य, आरआरडी 2007 पृष्ठ सं. 471 बउनवान श्रीमति केशान्ति व अन्य बनाम रामदास की छायाप्रतियां पेश की। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फरमावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोंडेन्टस क्रम 1 ता 4 खातेदार रामकरण मीणा के विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

जिला कलक्टर
बारां (राब०)



दिनांक 05.05.2021 तथा नामान्तरण तस्दीक किये जाने की तिथि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद लम्बित नहीं था। अपीलांट द्वारा वाद बाद में पेश किया गया है। अपीलांट का यदि मृतक रामकरण की सम्पत्ति में कोई अधिकार हैं तो वे जैरकार वाद में ही तय होंगे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने विधिक दृष्टांत आरबीजे 2020 पृष्ठ संख्या 1 बउनवान पाखरसिंह बनाम किस्तूरीदेवी आदि, पृष्ठ सं. 301 बउनवान चांदकंवर व अन्य बनाम भीमसिंह व अन्य, आरबीजे 2021 पृष्ठ सं. 394 बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल की छायाप्रतियां पेश कर अपील अपीलांट खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 अनुसार अपीलाधीन नामान्तरण नल एण्ड वोर्ड हो गया। यदि उक्त नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जाता है तो रेस्पोजेन्टगण आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2021 के आधार पर दर्ज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 से खारिज किया गया। अतः इसके आधार पर दर्ज नामांतरण भी स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बराना का नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 13.08.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद के निर्णय अनुसार पुनः नये सिरे से नामांतरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

व्याज आदेश दि. 15/11/23 से जोड़ना
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)